रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2939] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2018/श्रावण 8, 1940
No. 2939] NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2018/ SHRAVANA 8, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2018

का. आ. 3728(अ).—जबकि दिल्ली सरकार ने पशुओं में संक्रामक और सांसार्गिक रोगों के निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009, की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 15 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं.एफ. 31(1)एएचडी/2006/07/जेंडर्स/4522 द्वारा अश्वों को प्रभावित कर रही अनुसूचित रोगों के निवारण, नियंत्रण और उन्मूलन के उद्देश्य से, बीमारी के लक्षण दिखाने वाले अंतिम अश्व के मारने की तारीख से तीन महीने की अवधि तक दिल्ली से और दिल्ली में अश्वों की आवाजाही पर रोक लगाई थी;

और जबकि, बीमारी के लक्षण दिखाने वाले अंतिम अश्व को मारने की तारीख 23 मार्च, 2018 से लेकर पिछले तीन महीनों से ग्लैंडर्स रोग के किसी नए मामले की सूचना नहीं मिली है;

और जबकि बीमारी का लक्षण दिखाने वाले अंतिम अश्व के मारने से लेकर तीन महीने 23 जून, 2018 को पूरे हो चुके है;

और जबकि दिल्ली सरकार ने तारीख 12 जुलाई, 2018 के अपने पत्र द्वारा केंद्र सरकार से दिल्ली से और दिल्ली में अश्वों की आवाजाही पर लगी रोक को हटाने संबधी अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया है;

अत: अब केंद्रीय सरकार पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम 2009 (2009 का 27) की धारा 6 की उप-धारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान होने पर कि अश्वों को प्रभावित कर

सकने वाला अनुसूचित रोग अब दिल्ली में मौजूद नहीं है एतद्द्वारा दिल्ली को ग्लैंडर्स के अनुसूचित रोग से मुक्त घोषित करती है तथा 20-07-2018 से दिल्ली से और दिल्ली में अश्वों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को हटाती है।

[फा. सं. के-50/1/2017-एलएच]

उपमन्यु बसु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2018

S.O. 3728(E).—Whereas the Delhi Government vide notification F.No.31(1)AHD/ 2006/07/ Glanders/4522 dated the 15th January, 2018 with the object of preventing, controlling and eradicating the Scheduled disease that is affecting equines restricted the movement of equines to and from Delhi for a period of three months with effect from the date of last culling of the positive reactor equine in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 6 of the Prevention and Control of Infection and Contagious Diseases in Animals Act, 2009;

And whereas, no new cases of glanders disease have been reported to be found positive in equines since last three months from the date of last culling of the positive reactor equine that is from the 23rd day of March,2018;

And whereas three months from the date of last culling of the positive reactor equine has completed on 23rd June, 2018;

And whereas the Delhi Government vide its letter dated the 12th July, 2018 has requested the Central Government to issue a notification for lifting the restriction on the movement of equines to and from Delhi;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 6 of the Prevention and Control of Infections and Contagious Diseases in Animals Act 2009 (27 of 2009), the Central Government on being satisfied that the Schedule disease that may affect equines is no longer prevalent in Delhi, hereby declares Delhi free from the scheduled disease of glanders and lifts the restrictions on equines movement to and from Delhi with effect from 23.07.2018.

[F. No. K-50/1/2017-LH]

UPAMANYU BASU, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.07.31 15:54:29 +05'30'